न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:– 055/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. कालू,
2. किलाण पुत्रान स्व0 श्री चौथा जाति माली निवासी ग्राम प्रतापगढ़ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती संध्या पत्नि स्व0 श्री रामधन,
2. रमेश,
3. रामपाल पुत्रान स्व0 श्री रामधन जाति माली निवासी ग्राम लाला का बाग तन प्रतापगढ़ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।
4. श्रीमती काली पुत्री स्व0 श्री रामधन पत्नि श्री प्रहलाद,
5. श्रीमती मिसरो पुत्री स्व0 श्री रामधन पत्नि श्री जाति माली निवासी हाल ग्राम मातासूला तहसील जमवा रामगढ़ जिला जयपुर राज0 ।

..... असल रेस्पो0

6. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर राज0 ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0 ।

..... तर0 रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री के0के0शर्मा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री अशोक कुमार सैनी अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–14.09.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी में कदीमी रास्ता रेकार्डेड हाल आराजी ख0 नं0 919 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 रास्ता स्थित चला आता है जो रास्ते की भूमि दावा हाजा में विवादित भूमि बयान की गयी है । हाल आराजी ख0 नं0 919 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 रास्ता का साबिक ख0 नं0 855 रकबा 02 बिस्वा गै0मु0 रास्ता से बना है । उक्त गै0मु0 रास्ता साबिक रेकार्ड नक्शा लट्ठा में साबिक ख0 नं0 852 व 854 के पश्चिम डोल से सहारे–सहारे फिर आगे चलकर साबिक ख0 नं0

852 के पश्चिम डोल के सहारे–सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर साबिक ख0 नं0 852 की उत्तरी डोल तक जारी चला आता है । उक्त विवादित रास्ता रेकार्डेड रास्ता है जिस रास्ते से होकर वादी हमेशा से अपने कब्जे काश्त खातेदारी की हाल आराजी ख0 नं0 915 रकबा 0.47 है0 जिसका साबिक ख0 नं0 851 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम लालपुरा में आता जाता रहा है और उक्त आराजी में बने रिहायशी मकानात में आता जाता रहा है और अपने हल, बैल, ट्रेक्टर, मवेशियान लाता ले जाता रहा है और वादी उक्त रास्ता का उपयोग उपभोग अपने बुजुर्गान के समय से बिना किसी बाधा व रूकावट के करता आ रहा है जिस रास्ता से प्रतिवादीगण का या अन्य किसी का कोई हक, संबंध या कब्जा किसी प्रकार का नहीं है । वादी सीधा साधा अनपढ़ व्यक्ति है जो कानूनी जानकारी नहीं रखता है किन्तु अब राजस्व रेकार्ड की नकल लेने पर जानकारी हुई कि हाल आराजी के रेकार्ड नक्शा ट्रेस में जो रास्ता ख0 नं0 919 के उत्तरी डोल तक ही दर्शाया या है, उनको आगे हाल ख0 नं0 916 तक उसकी उत्तरी डोल तक नहीं दर्शाया गया है । उक्त रास्ता को मात्र ख0 नं0 919 के उत्तरी डोल तक ही अंकित किया है और हाल ख0 नं0 916 तक अंकित नहीं किया गया है जो कतई गलत खिलाफ कानून व मौका है जो वादी के हकूकों के मुकाबले बातिल व बेसर नाकाबिल पाबन्दी है जिस इन्द्राज को वादी कलमजन कराकर रास्ता पूर्ववत साबिक रेकार्ड के अनुसार कायम करवाने के अधिकारी है । प्रतिवादीगण राज्य सरकार के अधिकारी व प्रतिनिधि है जिन पर दावा लाने से पहले उन्हें दफा 80 जा.दी. मियादी दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है जो वकील साहब के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक से दिया जा चुका है जिसकी अवधि दो माह पूर्ण होने से पहले ही दावा पेश करना आवश्यक हो गया । इसलिए दावा डिक्री करने का निवेदन किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया । उसके बाद कोई उपस्थित नहीं आये । विद्धान अधिनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर वादी का वाद दि0 11.09.2012 को डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 11.09.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपील में अन्य प्रार्थी द्धारा आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 से पक्षकार मुकदमा बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जो बाद निर्णय निरस्त किये गये ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट तहत न्यायालय में पक्षकार नहीं थे । इसलिए 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश करने की अनुमति चाहते हैं । इसलिए 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील करने की अनुमति चाही है ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि आराजी ख0 नं0 916 गै0मु0 चाह इसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा है, रेस्पो0 का 1/4 हिस्सा है और शेष 1/8 हिस्सा रामचन्द्र पुत्र रूड़ा का है । रामचन्द्र के तीन बैटे हैं । 1/8 हिस्सा गोपाल के वारिसान का है । इस प्रकार अपीलांट रेकार्ड से 1/4 हिस्से का खातेदार है । ख0 नं0 916 रेकार्ड में गै0मु0 चाह दर्ज है । अपीलांट ने ख0 नं0 916 का अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी में वाद

पेश किया जिसकी नकल पेश की है जिसमें दि0 30.6.2013 का निर्णय है जिसमें अपीलांट के 1/2 हिस्से में मदाखलत, मजाहमत नहीं करें, गूणी कुआ को नष्ट नहीं करें, उपयोग उपभोग करें जिसकी अपील अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश सं0 3 अलवर के यहां विचाराधीन है ।

दावे में ख0 नं0 916 नहीं लिखा, केवल ख0 नं0 16 लिखा जबकि ख0 नं0 916 से हम प्रभावित थे, ख0 नं0 16 से नहीं । पहले हमारा दावा सिविल न्यायालय में चला रेस्पो0 ने बाद में उपखण्ड अधिकारी के यहां 3.3.2009 को पेश किया । ख0 नं0 916 को 16 लिखा तो सरकार ने जो जवाब दिया कि ख0 नं0 915, 16, 917 कहीं नहीं मिलते हैं । पैरोकार सरकार के बाद आदेश 6 नियम 17 लगायी जो निर्णित नहीं हुई । दि0 8.12.2009 को एक्सपार्टी करके दि0 9.9.2009 को आदेश जारी किये तथा 9.3.2010 को संशोधन वादपत्र पेश किया । जब आदेश 6 नियम 17 स्वीकार ही नहीं किया तो नये वाद पत्र को क्यों पढ़ा जावें । पूर्व के वाद से अपीलांट प्रभावित नहीं हैं । दि0 11.9.2012 का अंतिम आदेश है जिसमें बिना अनुमति के संशोधन वाद पत्र पेश किया तथा तनकी कायम की । तनकी एक्सपार्टी में नहीं होती है । संशोधन के बाद सरकार की एक्सपार्टी करा ली और बिना प्रकिया के डिक्री पारित करवा ली । दि0 24.8.2016 को अपीलांट को जानकारी हुई । अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश सं0 3 में अपील की है वहां अपीलांट पक्षकार है तो इस न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार क्यों नहीं बनाय ? दि0 16.1.2009 को मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवायी इसमें तहसीलदार ने बताया कि ख0 नं0 916 गै0मु0 चाह है तथा सह खातेदारी बतायी । ख0 नं0 916 गै0मु0 चाह से वादीगण का आना जाना बताया है । खातेदारी में आये जाये अपीलांट को कोई आपत्ति नहीं है । कुआ व बावड़ी को नष्ट नहीं करें । ख0 नं0 915 में वादी की आबादी है, कृषि भूमि नहीं है । कुआ को नष्ट करके रास्ता बनाना चाहते हैं । दि0 21.11.2005 का निर्णय सिविल न्यायालय का है तथा यहा क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं । अपीलांट का आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थना पत्र दि0 20.6.2018 को स्वीकार की है । दि0 3.4.2018 की पटवारी की रिपोर्ट है जिसमें रास्ते में कोई रोक नहीं है । तहसीलदार ने जिला कलक्टर से मार्गदर्शन व विधिक राय मांगी है । जब ख0 नं0 916 में होकर रास्ता बना रहे हैं तो अपील में भी सभी सह खातेदारें को सुनना चाहिए । धारा 53 में सह खातेदार को पक्षकार बनाया जाना चाहिए । धारा 42 प्रभावित होती है । अपीलांट को सुना जाना चाहिए तथा जवाब का मौका देना चाहिए । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 1969 पेज 231, आर.आर.डी. 1993 पेज 44, ए.आई.आर. 1987 पेज 1353, आर.आर.डी. 1995 पेज 179, आर.आर.डी. 1997 पेज 287, डी.एन.जे. 2014 पेज 857, आर.आर.टी. 2017 पेज 415 पेश की ।

विद्वान अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 ने बहस में निवेदन किया कि अपीलांट ने विवादित मुद्दे पर एक भी बात नहीं की । बार–बार ख0 नं0 916 का हवाला दिया है जबकि उसका तो कोई विवाद ही नहीं है और न ही असल रेस्पो0 का दावा ख0 नं0 916 का है । असल रेस्पो0 का दावा ख0 नं0 919 का है जो रेकार्ड में गै0मु0 रास्ता है । साबिक ख0 नं0 855 गै0मु0 रास्ता हाल ख0 नं0 919 गै0मु0 रास्ता का विवाद है । दावे के पैरा सं0 5 का अवलोकन कराया तथा नक्शा भी दिखलाया । ख0 नं0 919 को अपीलांट और असल रेस्पो0 भी उपभोग कर रहे हैं । न्यायालय से वादी ने पुराने नक्शें से तरमीम करायी है ।

इसलिए अपीलांट इससे कैसे प्रभावित है । इसी बिन्दू पर आदेश 1 नियम 10 लगायी थी जो खारिज हुई है । जब ये प्रभावित ही नहीं है तो अपीलांट को पक्षकार केसे बनाता । सरकार ने गलत किया है तो सरकार को पक्षकार बनाया है । ख0 नं0 919 में अपीलांट कोई खातेदार नहीं है ।

अपील की जानकारी पटवारी से होना अपील मीमों में बताया और कहां कि दि0 24.7.2016 को जानकारी हुई है जिसमें कुछ नहीं लिखा है । अपील मीमों के पैरा सं0 8 में नक्शा भी बताया और ख0 नं0 916 से मुझे कोई मतलब नहीं है तथा ख0 नं0 917 में आबादी बतायी तो क्या कोई दस्तावेज पेश किये हैं तथा उसमें पशुओं का बाड़ा है जिसका कोई विवाद नहीं है । सिविल न्यायालय में दावे चल रहे हैं तो प्रतिलिपि पेश करते जिससे दावे की स्थिति के बारे में जानकारी हो कि दावे किसने पेश किये हैं । अपीलांट की मंशा यह है कि ख0 नं0 915 में नहीं जाकर इस रास्ते में अपीलांट ने कब्जा वगैरा किया हुआ है ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि अपीलांट के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही हुई है जिसमें आदेश पारित हुए हैं । सिविल न्यायालय में अदम पैरवी में दावा खारिज करवा लिया क्योंकि वो अपीलांट के खिलाफ जा रहा था । धारा 42 आर.टी.एक्ट लागू नहीं होती है क्योंकि अपील में कारण व प्रार्थना अलग–अलग है । रास्ते का रकबा पहले क्या था, तरमीम के बाद क्या है । कोई रकबा कम नहीं हुआ है । बन्दोबस्त ने केवल रास्ते को ही बन्द करा दिया । केवल नक्शें की दुरूस्ती का ही दावा है । टाईपिंग गलती से ख0 नं0 916 के स्थान पर 16 लिखा है जो सही करवा लिया है । बहस में आगे कहा कि गूणी को नष्ट नहीं कर रहा हूं तथा बीच में ही रास्ता रोक रखा है । अपीलांट का कोई हित प्रभावित नहीं होता है तथा अपीलांट को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है तथा न ही ये तहत न्यायालय के निर्णय से प्रभावित हैं । अपीलांट की अपील मियाद बाहर है । अपीलीय न्यायालय को केवल रेकार्ड व साक्ष्य से ही निर्णय करना होता है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय सही है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है । उन्होंने अपने कथन की ताईद में ए.आई.आर. 1989 पेज 133, आर.आर.डी. 2011 पेज 228, आर.आर.डी. 2008 पेज 810 व आर.आर.डी. 1991 पेज 451 पेश की ।

हमने विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय के आदेश व पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

प्रकरण में मुख्य बिन्दू अपीलांट की ओर से ये है कि ख0 नं0 916 जो रेकार्ड में गैर मुमकिन चाह है, के कुछ हिस्से को वादी/रेस्पो0 नष्ट करके उसे रास्ते के रूप में उपयोग लेना चाहते हैं और ख0 नं0 915 अपने रहवास में आना–जाना चाहते हैं । साथ ही यह भी कहा कि ख0 नं0 916 के सभी सह खातेदारों को अदालत को सुनना चाहिए ।

ख0 नं0 916 को आधार मानकर उभयपक्षों में सिविल वाद भी विचाराधीन रहे हैं ।

रेस्पो0 का मुख्य कथन ये है कि साबिक ख0 नं0 855 रकबा 2 बिस्वा व हाल ख0 नं0 919 रकबा 3 ऐयर को संशोधित करने हेतु तहत न्यायालय में वाद पेश किया । साबिक नक्शा और साबिक रेकार्ड का हाल नक्शा व हाल रेकार्ड के आधार पर दुरूस्ती चाही है ।

चूंकि ख0 नं0 916 व 919 मौके पर पास में हैं तथा अपीलांट को यह लगता है कि ख0 नं0 919 में ख0 नं0 916 का रकबा मिलाया जा रहा है । इसी आधार पर अपीलांट अपने आपको प्रभावित मानकर 96 सी.पी.सी. के आवेदन के साथ अपील में आये हैं ।

न्यायालय का मत है कि जब ख0 नं0 916 के रकबे को लेकर उभयपक्षों में सिविल वाल विचाराधीन है तथा जिला कलक्टर अलवर को इस संबंध में परिवाद पेश है और मौका के संबंध में तहसीलदार ने विधिक राय मांगी है तो उचित यह होगा कि राजस्व कर्मचारियों की एक टीम संबंधित खसरा नम्बर की पैमाईश करके उभयपक्षों के बीच में मौका रिपोर्ट तैयार करें जिसमें साबिक व हाल रेकार्ड व नक्शें का हवाला हो और उसके आधार पर उभयपक्षों को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें ।

अतः अपील अपीलांट 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र की स्वीकृति के साथ ही काबिल स्वीकार योग्य होने से अपील स्वीकार की जाती है तथा तहत न्यायालय का आदेश दिनांक 11.09.2012 निरस्त किया जाता है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2012 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनकर तथा साबिक व हाल नक्शें से मिलान कर उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट प्राप्त करके पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.9.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर